झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 16.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01--	श्री योगेश्वर महतो स0वि0स0	बोकारो जिला के बेरमो विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कथारा से लेकर भण्डारीदह तक कोयलांचल का पुरा क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल का घोर अभाव है, जिससे इस क्षेत्र में निवास करने वाले सी0सी0एल0 कर्मी एवं झारखण्ड सरकार के ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी कठिनाईयों का सामना करते है। शुद्ध पेयजल के अभाव में उक्त लोग भयंकर पानी-जनित बीमारियों के शिकार भी होते है। इस जनहित की भयंकर समस्या का निदान तेनुघाट डैम से पानी लेकर सी0सी0एल0 एवं झारखण्ड सरकार के संयुक्त उपक्रम से फिल्टर प्लांट का निर्माण कर पाईप लाईन के माध्यम से घर-घर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर किया जा सकता है। अतएव कथारा (थर्मल बोकारो) से भण्डारीदह तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु सी0सी0एल0 एवं झारखण्ड सरकार को संयुक्त उपक्रम के माध्यम से स्थायी निदान हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
02-	सर्वश्री योगेन्द्र प्रसाद, जलिन सोरेन एवं श्री रवीन्द्र नाथ महतो स0वि0स0	बोकारो जिला अन्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड के तेनुघाट पंचायत के परियोजना उच्च विद्यालय तेनुघाट (कक्षा-6 कक्षा-10) विगत 30 वर्षो से जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा चलायी जा रही है। इस विद्यालय के वर्त्तमान छात्र-छात्राओं की संख्या 350 है। ज्ञात हो कि विगत सात वर्षो से विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। पठन-पाठन की कार्य विभागीय लिपिक तथा अनुसेवक द्वारा किया जा रहा है। अतः उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा शिक्षिकों की नियुक्ति कराने की ओ ध्यानाकृष्ट किया जाता है।	जल संसाधन
03-	श्री स्टीफन मराण्डी स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति में 26% पद अनुसूचित जनजाति, 10% पद अनुसूचित जाति एवं 64% पद अनारक्षित श्रेणी के लिए प्रावधानित है। अनारक्षित श्रेणी के लिए कर्णाकित 64% पदों में किसी भी कोटि के कर्मी खुली गुनाणुगुण (मेरिट) के आधार पर जा सकते है। ऐसा प्रावधान भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में भी है और उसका अनुपालन किया जा रहा है। परन्तु झारखण्ड में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अनारक्षित 64% पदों को सामान्य जाति के लिए आरक्षित किया जा रहा है क्योंकि इन पदों पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति संवर्ग के कर्मियों को वरीय होने के बावजूद भी नहीं आने दिया जाता है और उन्हें वरीय होने के बावजूद भी आरक्षित कोटि में रखा जाता है, जो कि आरक्षित संवर्ग के कर्मियों का शोषण एवं उनका संवैधानिक अधिकार का हनन है। आरक्षित श्रेणी के वरीयता रखने वाले कर्मियों को प्रोन्नति से वंचित रखने के कारण इसका कुप्रभाव नियुक्ति के लिए रिक्ति पर भी पड़ रहा है। जिससे हजारों बेरोजगार आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों, सचिवालय संवर्ग के कर्मियों तथा अन्य संवर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति में वर्ष 2009 से ही व्यापक पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है तथा कार्मिक विभाग के पदाधिकारियों एवं सहायको द्वारा जो वहाँ लंबे समय से विभिन्न पदों पर काबिज है।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		संगठित गिरोह बना कर सुनियोजित ढंग से इस घोटाला को अंजाम दिया जा रहा है। अतः इस पर ठोस कार्रवाई करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04-	श्रीमती सीता सोरेन स0वि0स0	जामा प्रखण्ड एवं रामगढ़ प्रखण्ड को जोड़ने के लिए बाड़ा पंचायत से ठाड़ी हाट पंचायत के बीच दूधवा जोड़िया पर निर्माण कराया जाए। इस पुलिया से दोनों प्रखण्डों के बीच की दूरी काफी कम हो जायेगी, और स्थानीय लोगों को आवाजाही की सुविधा उपलब्ध होगी। अतः उक्त पुलिया के निर्माण कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।	ग्रामीण विकास
05-	श्री कुणाल षड़ंगी स0वि0स0	समूचे झारखण्ड राज्य में बी0पी0एल0 सूची में काफी विसंगति है। अभी भी लाखों अत्यंत गरीब लोगों का नाम बी0पी0एल0 सूची में दर्ज नहीं है। जिससे सरकारी योजनाओं का सही लाभ समाज के अत्यन्त कमजोर आदमी तक पहुँच नहीं पा रहा है इसको लेकर लोगों में काफी असंतोष है। बहुत सारे 60 वर्ष से अधिक वृद्ध असहाय तथा 20 वर्ष से अधिक के विधवा एवं विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने से वंचित है। आने वाले दिनों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने पर भी असली गरीब आदमी को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में सरकार की ओर से विभिन्न समय में जारी किये गये दिशा-निर्देश भ्रामक है। अतः नये सिरे से समूचे राज्य में बी0पी0एल0 सूची का सर्वे कर अद्यतन किया जाय एवं पेशन तथा आवास योजनाओं के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया जाय तथा सरकार की ओर से जारी अधिसूचना एक सप्ताह के अन्दर प्रखण्ड स्तर पर उपलब्ध तथा लागू कराना सुनिश्चित किए जाने की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

राँची
दिनांक- 16 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-.....1263...../वि0स0,राँची,दिनांक- 15/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ जल संसाधन विभाग/ कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/15

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-.....1263...../वि0स0,राँची,दिनांक- 15/3/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

15/03/15